आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

R.M.A Case No. -44/2017-18

गुरूपद सेन एवं अन्य **बनाम** 16 आना रैयत ।

आदेश

यह बाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Rev. Misc Case No-128/2015-16 में दिनांक-29.07.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील है।

अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Rev. Misc Case No-128/2015-16 में दिनांक-29.07.2016 को पारित आदेश द्वारा प्रथम पक्ष मौजा-सेनजुरिया, खाता संख्या-30, दाग सं0-521, रकवा-2 कट्ठा 15 धूर जमीन एवं द्वितीय पक्ष के मौजा-अंगुठिया, खाता संख्या-30, दाग सं0-1159, रकवा-2 कट्ठा 15 धूर जमीन का बदलैन हेतु उभयपक्ष की प्रस्तावित जमीन का खतियान किस्म का उल्लेख नहीं रहने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा में समर्पित आवेदन को खारिज किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है वे प्रथम पक्ष मौजा-सेनजुरिया का जमाबंदी रैयत एवं द्वितीय पक्ष मौजा-अंगुठीया के जमाबंदी रैयत एवं ग्राम-फतेहपुर का निवासी है। गत सर्वे खतियान के अनुसार मौजा-सेनजुरिया खाता संख्या-30, दाग संख्या-521 के खतियानी रैयत प्रथम पक्ष (निम्न न्यायालय के) के दादा स्व0 बलाई सेन है एवं मौजा-अंगुठीया खाता सं0-30 दाग सं0-1159 द्वितीय पक्ष (निम्न न्यायालय के) श्याम सुंदर मंडल के पिता स्व0 धजु मंडल है। उभय पक्ष द्वारा समान किस्म एवं समान रकवा के जमीन बदलैन किया गया। निम्न न्यायालय में अंचल अधिकारी, फतेहपुर द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में जमीन का किस्म उल्लेख नहीं किया गया है जबकि निम्न न्यायालय में समर्पित किये गये ट्रेस नक्शा में जमीन का किस्म धानी सेम अंकित किया गया है। पुनः निम्न न्यायालय में प्रजा का खतियान स्लिप का छायाप्रति भी समर्पित किया गया था। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा द्वारा उक्त कागजातों का अवलोकन नहीं किया गया। उभयपक्ष (निम्न न्यायालय के) विषयगत जमीन को बदलैन कर शांतिपूर्वक दखल कब्जा के साथ निवास कर रहा है। स्थानीय रैयत द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय में अंचल अधिकारी, फतेहपुर द्वारा दाखिल किए गये जाँच प्रतिवेदन में भी दोनों मौजा के जमीन का किस्म अंकित नहीं गया। निम्न न्यायालय का अभिलेख में संलग्न कागजातों का छायाप्रति का अवलोकन करने से जमीन का किस्म उल्लेख है लेकिन उक्त कागजात पर किसी पक्ष या अधिकृत व्यक्ति द्वारा सत्यापित/अभिप्रमाणित नहीं पाया गया। लेकिन उभयपक्ष प्रश्नगत दोनों मौजा के संबंधित जमीन पर शांतिपूर्ण बसोबास करते हुए आपस में सहमति एवं सुविधानुसार बदलैन करना चाहते है। अंचल अधिकारी फतेहपुर द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा में समर्पित प्रतिवेदन में प्रश्नगत बदलैन जमीन का किस्म अंकित नहीं रहने कारण प्रतिवेदन अधूरा है। जिस कारण निम्न न्यायालय द्वारा पुनः जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर आदेश पारित करना चाहिए था। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के वाद Rev. Misc Case No-128/2015-16 में दिनांक-29.07.2016 में पारित आदेश में त्रुटिपूर्ण है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Rev. Misc Case No-128/2015-16 में दिनांक-29.07.2016 में पारित आदेश को निरस्त (Set aside) करते हुए वाद पुनर्विचार हेतु वापस (Remand) किया जाता है। वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2023.11.29 09:23:41 +05:30
Location: 192.168.43.106

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।